21.07.10.19

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती स्थान–भिनगा

उपस्थितः–मृदुलेश कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–14/2015

सी एन आर नं0–यू पी एस आर010001242015

श्रीमती राधा शुक्ला पत्नी रामगोपाल शुक्ला
निवासिनी वनगाई, दा0 वलनपुर वसन्तपुर,
थाना सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती। ....पुनरीक्षणकर्ती

प्रति

1--हुकुम चन्द्र पुत्र बेचई लाल
2--शिव प्रसाद उर्फ लल्लू पुत्र रामानन्द
3--प्रेम नरायन पुत्र सदानन्द
4--राजेश कुमार पुत्र कुनमुन शुक्ला
5--राज्य उ0प्र0 .... विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण श्रीमती राधा शुक्ला पत्नी रामगोपाल शुक्ला की ओर से दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0 263/12/14 श्रीमती राधा शुक्ला प्रति हुकुम चन्द्र एवं अन्य, अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 5.9.2014 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश द्वारा विद्वान दण्डाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ती के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता को निरस्त कर दिया है।

संक्षेप में सम्बन्धित दाण्डिक मामले के तथ्य इस प्रकार हैं–

दिनांक 19.8.14 को समय 8 बजे परिवादिनी अपनी ननद के साथ शौच के लिए गयी थी। जहाँ पर विपक्षीगण/पुरीक्षणकर्तागण पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही परिवादिनी शौच करके उठी वे खेत से निकल कर आ गये और प्रेम नरायण व हुकुम चन्द ने अपने अंगौछे से परिवादिनी का मुँह बांध दिया और चारों लोग परिवादिनी को घसीटते हुए पास के मक्के के खेत में ले गये। वहाँ पर हुकुम चन्द्र व प्रेम नरायन ने जबरदस्ती उनके साथ बारी–बारी से बलात्कार किया। शिव प्रसाद व राजेश कुमार रखवाली कर रहे थे। जब परिवादिनी के मुँह से किसी तरह कपड़ा हटा तो जोर से चिल्लाई तो गांव के बहुत से लोग आ गये तो विपक्षीगण/पुनरीक्षणकर्तागण मक्के के खेत से निकल कर भाग गये।

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया है:—

यह कि विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किये विना संज्ञेय अपराध न मानते हुए अपना अभिमत देने में विधिक त्रुटि कारित की है। प्रार्थनापत्र के आदेश में उल्लिखित रिश्ता काल्पनिक आधार पर आधारित है। इन रिश्तों का कोई भी उल्लेख प्रार्थनापत्र में पुनरीक्षणकर्ती द्वारा नहीं किया गया है और काल्पनिक रिश्तों का उल्लेख करके विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थनापत्र निरस्त करके विधिक त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया है जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया जावे।

सुनवायी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी पुनरीक्षणकर्ती एवं विपक्षीगण सं0 1 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी सं0 5 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित हैं। पुनरीक्षण अत्यन्त प्राचीन है। विपक्षी सं0 5 की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ती द्वारा आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता सम्बन्धित दण्डाधिकारी के न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 19.8.2014 को समय 8 बजे जब वे अपनी ननद के साथ शौंच के लिए गयी थी तो वहॉ हुकुमचन्द्र, शिव प्रसाद, प्रेम नरायन एवं राजेश कुमार पहले से घात लगाकर बैठे थे ओर जब वे शौच करके उठीं तो उक्त लोग खेत से निकलकर आ गये। प्रेम नरायन एवं हुकुम चन्द्र ने अंगौछे से उनका मुॅह बांधा था और चारों लोग उन्हें घसीटते हुए मक्के के खेत में ले गये, जहॉ पर हुकुम चन्द्र एवं प्रेम नरायन ने जबरन उसके साथ बसगी—वारी बलातसंग किये और शिव प्रसाद एवं राजेश कुमार रखवाली करते रहे। स्पष्टतः उक्त आवेदनपत्र में अंकित कथनों से संज्ञेय अपराध घटित होना दर्शित हो रहा है। यह स्थापित विधि है कि ऐसे मामलों में अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

आक्षेपादेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ती का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि पक्षकारों के बीच एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 पहले से दर्ज है जिसे राम नरायन की पत्नी प्रेम लता ने राम गोपाल

के विरूद्ध दर्ज कराया था। वर्तमान वाद की वादिनी/पुनरीक्षणकर्ती राधा शुक्ला उसी रामगोपाल शुक्ला की पत्नी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी मामले के कारण प्रतिशोध व पेशबन्दी के कारण प्रार्थनापत्र दिया गया है। आवेदिका व विपक्षीगण एक ही गांव के हैं और आपस में सम्बन्धी हैं। सभी विपक्षीगण एक ही परिवार के हैं और उनके बीच आपस में चाचा भतीजा व भाई का रिश्ता है। सामान्यतः भारतीय परिस्थितियों में पिता पुत्र जैसे सम्बन्धी एक साथ एक ही स्त्री से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करते हैं।

विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश में यह अंकित किया गया है कि एक अन्य प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता प्रेम लता प्रति राम गोपाल जिसमें आलोच्य आदेश पारित करने की तिथि पर सुनवाई हुई है और न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र में संज्ञेय अपराध न पाते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किया है। उक्त प्रार्थनापत्र वर्तमान मामले के पक्षकारों के मध्य ही है। वस्तुतः ब्लैकमेलिंग का कथन करने वाले आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता को निरस्त किये जाने का यह आधार उचित नहीं है।

विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश में यह निष्कर्षित किया गया है कि "ऐसा प्रतीत होता है कि उसी मामले के कारण प्रतिशोध व पेशबन्दी के कारण प्रार्थनापत्र दिया गया है।" वस्तुतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कल्पनाओं एवं सम्भावनाओं पर आधारित है क्योंकि इस प्रकार का कोई साक्ष्य आलोच्य आदेश पारित करते समय विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष नहीं था। जैसा कि पुनरीक्षण आवेदनपत्र में भी कहा गया है।

आलोच्य आदेश में यह अंकित है कि आवेदिका एवं विपक्षीगण आपस में सम्बन्धी हैं। सभी विपक्षीगण एक ही परिवार के हैं और उनके बीच आपस में चाचा भतीजा व भाई का रिश्ता है। पुनरीक्षण आवेदनपत्र में यह अंकित किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य मनमाने तरीके से अंकित किया गया है। प्रस्तुत पुनरीक्षण के विपक्षीगण सं0 1 लगायत 4 का एक ही परिवार का होना चाचा भतीजा व भाई का रिश्ता होना दर्शित नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष भी मनमाने तरीके से अंकित किये गये हैं। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह भी अंकित किया है कि भारतीय परिस्थितियों में पिता पुत्र जैसे सम्बन्धी एक साथ एक ही स्त्री से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करते हैं। प्रस्तुत मामले के विपक्षीगण के पिता के नाम पुनरीक्षण आवेदनपत्र में अंकित है और विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के पिता के नामों को

देखते हुए वे आपस मे पिता पुत्र भी दर्शित नहीं होते। अतः यह निष्कर्ष भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से कल्पनाओं एवं सम्भवनाओं के आधार पर अंकित किया गया है।

श्यामराज प्रति उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2008 प्रयाग निर्णय प्रकाशिका, 321 (दाण्डिक) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दण्डाधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने का आदेश करके अन्वेषण से सम्बन्धित अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने हेतु पुलिस को निर्देशित करें। शीर्ष न्यायालय ने समय–समय पर इस विधि को दोहराया है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण किया जाता है तो पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने एवं अपराध का अन्वेषण करने के लिए अपने वैधानिक कर्तव्याधीन है।

हरियाणा राज्य प्रति चौधरी भजन लाल, 1990(2) जे0आई0सी0 997 (उच्चतम न्यायालय), मधुबाला प्रति सुरेश कुमार एवं अन्य,1997 जे0आई0सी0 979 एवं सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य, 2001 (1) जे0आई0सी0 740 (उच्चतम न्यायालय) के मामलों में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

ऐसी स्थिति में यही निष्कर्षित होता है कि पारित किया गया आलोच्य आदेश विधि के अनुरूप नहीं है। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अतः आलोच्य आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है एवं तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है तथा दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 14/15 श्रीमती राधा शुक्ला प्रति हुकुमचन्द्र एवं अन्य स्वीकार किया जाता है। दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0 263/12/14 श्रीमती राधा शुक्ला प्रति हुकुम चन्द्र एवं अन्य, अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता, थाना रिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्रावस्ती द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 5.9.2014 खण्डित किया जाता है।

विद्वान दण्डाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर पुनः सुनकर विधि अनुसार आदेश पारित करें। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय में दिनांक 30.9.19 को उपस्थित होवें।

इस आदेश की एक प्रति विद्वान दण्डाधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित कर दी जावे।

Sd
20.09.19

(मृदुलेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

दिनांक 20.9.2019

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

Sd
20.09.19

(मृदुलेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

दिनांक 20.9.2019

True copy attested
20.9.19
Copying Clerk.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद श्रावस्ती

Seen
D.M.

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,श्रावस्ती।

प्रकीर्णवाद सं0-217 12/17
चन्द्रावती उर्फ श्यामावती प्रति शिव कुमार आदि

दिनांक 1.6.2017

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता आदेश हेतु पेश हुआ। पुलिस आख्यानुसार प्रश्नगत मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में आवेदिका का कथन है कि आवेदिका ने राजस्व ग्राम पूरमंशाराम, पर0 तह0 इकौना के गाटा सं0 423 रकबा 8550 वर्ग फुट भूमि जो सड़क से संलग्न है को उसके पूर्व स्वामी राधवराम पुत्र गनपद से क्रय 10.10.14 को किया था और काबिज दखील आराजी थी। उक्त भूमि पर अरहर की फसल लगाये हुए थी। जो कटने वाली थी। विपक्षीगण एक राय होकर दिनांक 7.4.2017 को सुबह 6.40 जे अमादा फौजदारी लाठी, गडासी, हंसिया, फरसा से लैस होकर मौके पर आये और प्रार्थिनी के उपरोक्त गाटे में लगी आवेदिका की फसल को जबरिया काटने लगे। आवेदिका व आवेदिका के भाई जनार्दन प्रसाद को जानकारी हुई तो मौके पर पहुँची और विपक्षीगण को जबरिया अरहर की फसल काटने से मना किया और पुलिस को सूचना दिया। अभियुक्तगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए सम्पूर्ण फसल को काटकर उठाकर ट्राली पर लादने लगे। प्रार्थनापत्र एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि **पक्षकारों के मध्य जमीन सम्बन्धी विवाद है।** आवेदिका की ओर से बैनामे की छायाप्रति आदि प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थनापत्र में उल्लिखित कथनों से किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना स्पष्ट नहीं हो रहा है। **पुलिस के विवेचना के तथ्य अन्तर्निहित नहीं हैं।** इस प्रकार समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियाँ आवेदिका के नियंत्रण में है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम राज्य उ0प्र0,** क्रिमिनल अप्लीकेशन नं0 781/2012 निर्णीत दिनांकित 19.03.2015 तथा रिट क्रिमिनल अप्लीकेसन नं0 9297/07 **सुखबासी बनाम स्टेट आफ यू0पी0** में पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका का प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका चन्द्रावती उर्फ श्यामावती का प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में [illegible] रजिस्टर हो। अन्तर्गत बयान 200 दण्ड प्रकिया संहिता आवेदिका दिनांक [illegible] को पेश हो।

सी0जे0एम0
श्रावस्ती
1.6.2017

सत्यापित नं-11

न्यायालय सी0जे0एम0, श्रावस्ती।
मुकदमा नं0– 267 / 2017
चन्द्रावती बनाम शिव कुमार आदि

दिनांक 24.01.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी बार बार पुकार कराये जाने पर परिवादिनी उपस्थित नहीं आ रही है और न ही उसके द्वारा कोई अवसर/मौका प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियत है। लेकिन परिवादिनी विगत कई तिथियों से उपस्थित नही आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादिनी का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद उसके अनुपस्थित में अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सी0जे0एम0,
श्रावस्ती।

5-12-19 ~~पत्रा० मय आदेश मान० जिला न्याया० प्राप्त हुई अवलोकन किया वास्ते आदेश आदेश जुन० दिनांक 6-12-19 को पेश हो~~

6-12-19 रोगा P.O. अवकाश रहेंगे है वास्ते जुन० दिनांक 17-12-19 को पेश हो

17/12

17/12/19

संलग्नक न 12/1

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,श्रावस्ती स्थान–भिनगा

उपस्थितः–मृदुलेश कुमार सिंह,उच्चतर न्यायिक सेवा

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–71/2018

सी एन आर नं0–यू पी एस आर010008382018

चन्द्रावती उर्फ श्यामावती पत्नी बच्छराज
निवासी–ग्राम पूरेमंशाराम, थाना इकौना
जनपद श्रावस्ती .....पुनरीक्षणकर्ती

प्रति

1–राज्य उ0प्र0
2–शिव कुमार पुत्र मनीराम
3–वेचन लाल पुत्र मुरली
4–किशोर पुत्र मुरली
5–रमेश कुमार पुत्र मुरली
6–मुरली पुत्र मनीराम
निवासीगण–ग्राम–पूरेमंशाराम, थाना इकौना
थाना–इकौना, जनपद श्रावस्ती

..... .विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण श्रीमती चन्द्रावती उर्फ श्यामावती पत्नी बच्छराज की ओर से दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0 217/12/17 चन्द्रावती प्रति शिव कुमार एवं अन्य, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 1.6.2017 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश द्वारा विद्वान दण्डाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ती के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता को परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया है।

संक्षेप में सम्बन्धित दाण्डिक मामले के तथ्य इस प्रकार हैं–पुनरीक्षणकर्ती ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि परिवादिनी ने राजस्व ग्राम पूरेमंशाराम, परगना व तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती के गाटा सं0 423 रकबा 8550 वर्ग फुट भूमि, जो सड़क से संलग्न है को उसके पूर्व स्वामी राघवराम पुत्र गनपद से दिनांक 10.10.14 को क्रय किया था और आराजी पर काबिज व दखील थे। उक्त भूमि पर अरहर की फसल लगी थी जो कटने वाली थी। विपक्षीगण एक राय होकर दिनांक

7.4.2017 को सुबह 6.40 बजे लाठी, गड़ासी, हंसिया, फरसा से लैस होकर मौके पर आये और परिवादिनी के खेत में लगी फसल जबरिया काटने लगे। परिवादिनी व परिवादिनी के भाई जनार्दन प्रसाद को जानकारी हुई तब परिवादिनी मौके पर पहुँची और विपक्षीगण को जबरिया अरहर की फसल काटने से मना किया और पुलिस को सूचना दी। तब विपक्षीगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए सम्पूर्ण फसल काटकर ट्राली पर लादने लगे। रोकने पर परिवादिनी व उसके भाई को हत्या करने की धमकी दी तथा फसल लूटकर ले गये।

यह दाण्डिक पुनरीक्षण निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया है:-

यह कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) दं0प्र0स0 को परिवाद में पंजीकृत करके विधिक व कानूनी गलती की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन नहीं किया और सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया है। पुनरीक्षणकर्ती की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर विवेचना विधि के अनुसार अपेक्षित है जो न करके कानूनी गलती की है। पुनरीक्षणकर्ती एक असहाय महिला है और परिवाद लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं करायी जाती तो न्याय से वंचित रह जायेगी।

पुनरीक्षणकर्ती के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0 2 ता 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

पुनरीक्षणकर्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी सं0 2 ता 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया है। अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

पुनरीक्षणकर्ती ने अपने प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में स्वयं यह अंकित किया है कि पुनरीक्षणकर्ती एवं विपक्षीगण के मध्य जमीन में लगी अरहर की फसल को काटने को लेकर विवाद है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि पक्षकारों के मध्य जमीन सम्बन्धी विवाद है।

विनोद नतेसन प्रति केरल राज्य एवं अन्य (2019) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 401 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य जब विवाद सिविल प्रकृति का हो और उससे अपराध के तत्व दर्शित न होते हों तो ऐसे मामलों मे परिवाद निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

राज्य बनाम नं. 12/2

इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया गया कि पक्षकारों के मध्य जमीन सम्बन्धी विवाद है परन्तु उपरोक्त पारित विधि व्यवस्था के प्रकाश में विद्वान अवर न्यायालय का पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है।

ऐसी स्थिति में यही निष्कर्षित होता है कि पारित किया गया आलोच्य आदेश विधि के अनुरूप नहीं है। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अतः आलोच्य आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है एवं तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है तथा पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद श्रावस्ती

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 71/2018 चन्द्रावती उर्फ श्यामावती प्रति राज्य उ0प्र0 एवं अन्य स्वीकार किया जाता है। दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0 247/12/17 चन्द्रवती प्रति शिव कुमार एवं अन्य अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के मामले में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रावस्ती द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 1.6.2017 खण्डित किया जाता है। विद्वान दण्डाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं उक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में पक्षकारों को सुनकर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करें। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 6.12.2019 को उपस्थित होवें।

इस आदेश की एक प्रति विद्वान दण्डाधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित कर दी जावे।

पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय से आहूत किया गया अभिलेख अविलम्ब प्रेषित कर दिया जावे।

Sd/- 02/12/19

(मृदुलेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 2.12.2019

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

Sd/- 02/12/19

(मृदुलेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 2.12.2019

True copy attested
02/12/19
Sessions Clerk

Scan,
Com
SW